

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एस-435/88)/अलेसे-11/

दिनांक :- 23/12/2016

परिपत्र

निदेशालय द्वारा समय-समय पर अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कर्मचारियों को अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय के साथ-साथ अन्य कार्यालय में अधीनस्थ लेखा सेवा के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है। विभिन्न विभागों से प्राप्त हो रहे पत्रों के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे लेखाकर्मियों का अपने मूल पदस्थापन कार्यालय से स्थानान्तरण होने पर उसे वर्तमान पद के साथ सौंपा गया अतिरिक्त कार्यभार का आदेश स्वतः अप्रभावी हो जाता है।


(पंकज चौधरी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एस-435/88)/अलेसे-11/ 1692 दिनांक :- 23/12/2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष
2. समस्त कार्मिक, अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
4. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)